न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व वाद संख्या 36/2021 अन्तर्गत धारा 88,207,188 RT Act.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. पांचाराम पुत्र पूनमाराम 2. मदाराम पुत्र पूनमाराम 3. चतरूदेवी पत्नी कुम्भाराम जाति जाट निवासी मुकने का तला (लीलसर) तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. बाबुराम पुत्र लाभुराम 2. चनणीदेवी पत्नी लाभुराम 3. जालाराम पुत्र कुम्भाराम 4. शेम्भूराम पुत्र कुम्भाराम 5. नगाराम पुत्र कुम्भाराम 6. भभूताराम पुत्र कुम्भाराम जाति जाट, निवासी मुकने का तला तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर 7. शाखा प्रबंधक, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शिव 8. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. वादीगण अधिवक्ता – श्री नरेन्द्रसिंह सियाग।

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 01.02.2023

वादीगण के वादपत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादी संख्या 1 व 2 के पिता, वादीनी संख्या 3 के श्वसुर एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा, प्रतिवादीनी संख्या 2 के श्वसुर, प्रतिवादी संख्या 3 से 6 के दादा स्व0 पूनमाराम पुत्र जोगाराम द्वारा स्व–अर्जित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 375/277 रकबा 60.00 बीघा मौजा राजड़ाल, तहसील शिव में आया हुआ है। पूर्व खातेदार स्व0 पूनमाराम द्वारा अपनी स्व अर्जित सम्पति उक्त वादग्रस्त आराजी को अपने जीवनकाल में ही दिनांक 18.02.2019 को वसीयत दस्तोवज संख्या 201903064300001 के जरिये सम्पूर्ण आराजी की वसीयत वादीगण को निष्पादित कर दी गई थी। पूनमाराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 560 में पूर्व खातेदार के प्रथम वर्ग के समस्त वारिसान का नाम दर्ज कर दिया गया, जबकि पूनमाराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही वसीयत कर देने से उक्त नामान्तरकरण वसीयतग्रहिता के पक्ष में खोला जाना था। नामान्तरकरण संख्या 560 स्व0 पूनमाराम के देहांत होने पर उनके प्रथम वर्ग के वारिसान वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के पक्ष में खोल दिया गया, जो अविधिक एवं त्रूटिपूर्ण है। वादीगण को जब उक्त त्रूटिपूर्ण नामांतरकरण की जानकारी हुई तो उन्होंने प्रतिवादीगण को उनके नाम राजस्व रेकर्ड से हटवाने को कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड से अपने नाम हटवाने से मना करते हुए त्रूटिपूर्ण रेकर्ड के आधार पर वादग्रस्त आराजी को खुर्द बुर्द करने की ऐलानियां धमकी दी गई, जबकि उक्त वादग्रस्त आराजी के पूर्व खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल के दौरान ही वसीयत वादीगण के पक्ष में निष्पादित करवा देने से प्रतिवादीगण का उक्त आराजी में कोई विधिक अधिकार नही है। अतः उक्त वादग्रस्त आराजी के खातेदार द्वारा अपने जीवनकाल में वादीगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित करवा दी गई थी परन्तु राजस्व रेकर्ड में उक्त वादग्रस्त आराजी के विरासत का नामांतरकरण निर्वसीयती फौत खातेदार के आधार पर दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण वादीगण वसीयत के आधार पर खातेदारी घोषणा करवाने के अधिकारी होने से मौजा राजड़ाल के खसरा नम्बर 375/277 रकबा 60.00 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के नाम हटाये जाकर उनके स्थान पर सम्पूर्ण भूमि वादीगण की खातेदारी घोषित करवाने बाबत् वाद प्रस्तुत किया गया है।

वाद पंजीयन कर प्रतिवादीगण को जरीये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के बावजुद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वादी संख्या 1 एवं वादी संख्या 2 तथा स्वतंत्र गवाह भभुताराम पुत्र गंगाराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप स्वयं के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। वादी अधिवक्ता द्वारा वादीगण की ओर से अपने वाद के समर्थन में वसीयतनामा व बैचान दस्तावेज प्रस्तुत किये गये।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के खसरा नम्बर 375/277 रकबा 60.00 बीघा भूमि में से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड से हटाते हुए सम्पूर्ण भूमि दिनांक 18.02.2019 को निष्पादित वसीयतनामा अनुसार वादीगण की खातेदारी घोषित करते हुए वाद स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

हमने वादीगण अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में बैचान दस्तावेज संख्या 222/77 व 223/77 दिनांक 26.07.1977 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पूर्व खातेदार पूनमाराम की खरीदशुदा स्वअर्जित सम्पति है। कोई भी खातेदार अपनी स्वअर्जित संपति का उपयोग, उपभोग व हस्तांतरण करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होता है। पूर्व खातेदार पुनमाराम द्वारा उक्त स्वअर्जित सम्पति को अपने जीवनकाल में ही दिनांक 18.02.2019 को पुत्रवधु श्रीमती चतरूदेवी पत्नी कुम्भाराम व पुत्रों मदाराम, पांचाराम पुत्र पूनमाराम के नाम जरिये वसीयतनामा निष्पादित करवा दी गई थी तथा पूर्ण रूप से उपयोग व उपभोग करने के अधिकार भी वादीगण को प्रदान कर दिये थे। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा पूर्व खातेदार पूनमाराम के फौत होने पर उनके प्रथम वर्ग के समस्त वारिसान के पक्ष में नामांतरकरण खोला दिया गया, जबकि स्व0 पूनमाराम द्वारा पूर्व में ही अपने जीवनकाल में वसीयतनामा निष्पादित करवा देने से उनके प्रथम वर्ग के समस्त वारिसान के स्थान पर दिनांक 18.02.2019 को निष्पादित वसीयतनामा अनुसार वसीयतग्रहिता के पक्ष में नामांतरकरण खोला जाना न्यायोचित था। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली अनुपस्थित रहे है जबकि वादीगण अपने वाद को दस्तावेजात से साबित करने में सफल रहे है। अतः उक्त वाद में पूर्व खातेदार पूनमाराम के फौत होने पर वसीयतनामा अनुसार वसीयतगृहिता के पक्ष में नामांतरकरण खोला जाना था, किन्तु विरासत का नामांतरकरण संख्या 560 जो कि उनके प्रथम वर्ग के समस्त वारिसान के पक्ष में निष्पादित किया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः विरासत के नामांतरकरण संख्या 560 मौजा राजड़ाल, तहसील शिव को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा राजड़ाल, तहसील शिव के खसरा नम्बर 375/277 रकबा 60.00 बीघा भूमि में पारित नामांतरकरण संख्या 560 मौजा राजड़ाल, तहसील शिव को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव को वसीयतनामा दस्तावेज संख्या 201903064300001 दिनांक 18.02.2019 की जांच कर विधिसम्मत् निर्णय पारित करते हुए रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। इस निर्णय से बैंक हित अप्रभावित रहेंगे। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शिव जिला-बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय आज दिनांक 01.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner